

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2254 / 2021

दिनांक : 23.10.2021

इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2218 / 2021 दिनांक 08.10.2021 को निरस्त करते हुए श्री विनोद कुमार गिरी (RJ0294), न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण), जयपुर महानगर-I को दिनांक 25.10.2021 से 01.11.2021 तक 08 दिनों का उपाजित अवकाश दिनांक 24.10.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री गिरी की अनुपस्थिति में न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर महानगर-II इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण), जयपुर महानगर-I के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 22.10.2021

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/04/1997/6513

दिनांक 23.10.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर।
3. न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण), जयपुर महानगर-I को उनके पत्रांक 1090 दिनांक 16.10.2021 के सन्दर्भ में।
4. श्री विनोद कुमार गिरी (RJ0294), न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण), जयपुर महानगर-I
5. न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर महानगर-II


सहायक रजिस्ट्रार 23.10.2021